कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, प्रथम तल, भोपाल

क्रमॉक/एफ – / 10–10/2007/ 937 / भोपाल : दिनांक 13/3/08

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी),

मध्यप्रदेश ।

विषयः–वनों में अग्नि दुर्घटना प्रकरणों में वृद्धि ।

———

सेटेलाईट से प्राप्त सूचना के आधार पर पाया गया है कि माह फरवरी 2008 के द्वितीय पक्ष में वनों में अग्नि के प्रकरणों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । ऐसा माना जा रहा था कि अग्नि रेखाओं की कटाई–जलाई के फलस्वरूप यह प्रकरण दृष्टिगत हुये हैं । परन्तु क्षेत्र से मिले फीडबैक के अनुसार यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश स्थलों पर प्रकरण तेन्दूपत्ता ठेकेदारों द्वारा अपनी इकाई के वन क्षेत्रों से अच्छा पत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से आग लगाई गई । यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है ।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. वनों में अग्नि दुर्घटनाओं के प्रकरणों पर निगरानी रखी जाये ।
2. फायर वाचर्स तथा फायर वाचिंग केम्प 15 फरवरी से प्रारम्भ हुये कि नहीं समीक्षा की जाये ।
3. तेन्दूपत्ता प्राथमिक समितियों के समिति प्रबन्धक तथा फड़ मुंशी को सख्त निर्देश देवें कि यदि ठेकेदार के द्वारा वनों को क्षति पहुँचाई जाती है तो न केवल ठेकेदार के विरूद्ध अपितु उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी ।
4. यदि तेन्दूपत्ता ठेकेदार द्वारा वनों को अग्नि से अथवा अन्य किसी प्रकार से नुकसानी की जाती है तो उनके तथा संबंधित समिति प्रबन्धक व फड़ मुंशी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा इस कार्यालय को भी सूचित किया जाये ।
5. वनों में आग लगने की स्थिति में उस पर तत्काल नियंत्रण किया जाये, इस हेतु बजट आवंटन बाधक नहीं रहेगा । नियमानुसार आवश्यक मात्रा में मजदूर लगाकर अग्नि पर नियंत्रण किया जाये और हानि को लिपिबद्ध किया जाये ।

प्रत्येक वन अधिकारी व कर्मचारी का यह प्राथमिक दायित्व है कि वनों को अग्नि से बचाया जाये एवं इस हेतु व्यापक पैमाने पर पूर्व वर्षो में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल